

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-12-2020

- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना व जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अख्तर पुत्र कल्लू सा0-आर्यनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर 4/25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त तसौव्वर अली पुत्र इन्सान अली सा0 बसन्तपुर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर 60 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त लल्लन पुत्र नवी सा0 परती बाजार थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 60 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त लवकुश पुत्र शत्रुधन चौबे सा0 पेंदा थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 60 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामबेलास पुत्र प्यारे सा0 बसालतपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 60 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटू निषाद पुत्र संतोषी निषाद सा0 कठेला सर्की थाना देबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर 60/63 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार मिश्रा पुत्र जग प्रसाद मिश्रा सा0 खखराव थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 14 शीशी देशी शराब बरामद कर 60 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।
- ❖ कल दिनांक 18.12.2020 को थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त गंगू पुत्र विपत सा0 थरौली कैथवलिया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 13 शीशी देशी शराब बरामद कर 60 आब0 अधि0 की कार्यवाही की गयी।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-12-2020

थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर- दो अभियुक्त को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 19.12.2020 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

2--अवैध वाहन चेकिंग के दौरान 04 अवैध वाहनों से 4000 रुपये ई-चालान किया गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 162/2020 धारा 498A,304B भादवि0, 3/4 DP ACT से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 01- अवधराम मोर्या पुत्र सुखई मोर्या 02- सुखई मोर्या पुत्र उदित मोर्या निवासीगण ग्राम-तेनुहार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर, को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह के मुखबिर की सूचना पर थाना भवानीगंज क्षेत्रान्तर्गत सिलोखरा चौराहा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण -

1. अवधराम मोर्या पुत्र सुखई मोर्या निवासी ग्राम तेनुहार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
2. सुखई मोर्या पुत्र उदित मोर्या निवासी ग्राम तेनुहार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रवीन्द्र कुमार सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
3. उ0नि0 श्री अमरनाथ राम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
4. उ0नि0 श्री सुग्रीव प्रसाद चंद्रा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
5. हे का राम शंकर पाण्डेय थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
6. का नूर आलम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-12-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-19-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 364 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 108 वाहनों का चालान कर ₹ 94,300/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी में बांसी सर्किल का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगणों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 19-12-2020 को थाना बांसी का निरीक्षण किया गया तत्पश्चात बांसी सर्किल के थाना-बांसी, जोगिया उदयपुर व खेसरहा का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
2. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
3. धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
4. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
5. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
6. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
7. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
8. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
9. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
10. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
11. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। उक्त गोष्ठी के दौरान श्री अरुण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी बांसी, समस्त प्रभारी/थानाध्यक्षगण सर्किल बांसी एवं सर्किल बांसी के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 19.12.2020
नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.12.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व उ.नि. सूर्यप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया मय टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर समय करीब 17.10 बजे लोहटी गांव के पुलिया के पास से एक अभियुक्त विनोद कुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी लोहटी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 320/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

विनोद कुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी लोहटी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ.नि. सूर्यप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

का. सन्दीप यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

का. अशोक यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 19.12.2020
व्यपहता बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक देबरूआ के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री उपेन्द्र सिंह व हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 19.12.2020 को वांछित अभियुक्त को अमन तिराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पीड़ित व्यपहता बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय करते हुए पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय रवाना किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. शहजाद शाह पुत्र इसराइल साकिन खखरगड्डी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अप. संख्या:316/2020 धारा 7/8 पॉस्को एक्ट थाना देबरूआ, सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उप निरीक्षक श्री उपेन्द्र सिंह थाना देबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2. हे.का. रविन्द्र सिंह थाना देबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

3.म0का0 ममता मौर्य थाना देबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।